



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

**Title:** टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**Reference No.:** IRDA/F&I/ORD/F&A/114/07/2010

**Date:** 19/07/2010

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105बी के अधीन दंड लगाना

कृपया विवरण देखने के लिए संलग्न फाइल डाउनलोड करें.